प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 09 फरवरी, 2015

विषयः- **रूरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (75 प्रति.के.पो.) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित आपके पत्र संख्या-01/एन.एल.एम./रूरल बैकयार्ड/14-15, दिनांक 08.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-रूरल बैंकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (75 प्रति.के.पो.) के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0-432.225 लाख (रूपये चार करोड. बत्तीस लाख बाईस हजार पॉच सौ मात्र) की स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि स्वीकृत धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत अनुमोदित मदों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाईन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुये प्राप्त केन्द्रांश की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.94 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैण्डबुक तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली का यथावश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

5- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियंत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त प्रशासनिक विभाग/वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-आयोजनागत-103-कुक्कुट विकास-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-रूरल बैंकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (के.75/रा.25-.के.रा.)-27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रशासनिक विभागों को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(**रजनीश गुप्ता**)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-55(1)/सैंतीस-2-2015-तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. संयुक्त सचिव (एपीएफ)/संयुक्त आयुक्त (पोल्ट्री), कृषि मंत्रालय, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
8. वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in